

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर.2806—एक / 13

जिला—मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आर्द्ध- के हस्ताक्षर
22-7-15	<p>आवेदक की ओर से श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभि. उप.। उन्होंने निवेदन किया कि वे इस प्रकरण को अब आगे चलाना नहीं चाहते। प्रकरण आगे न चलाने के आधार पर आदेशार्थ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	
३-७-१५	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरान्त आवेदक अभि. का निवेदन स्वीकार करते हुये यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश गवालियर म.प्र.

प्र.क्र. - /2012-13 निगरानी - R. 2806-J 113

ठीकांक बाबू सिंह गवालियर
निगरानी दिनांक 19/7/13
प्राप्ति
कलक्षण ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल न.प्र. गवालियर

1. बहादुर सिंह पुत्र चंदन सिंह
2. चतुर सिंह पुत्र चंदन सिंह मृतक वारिस
अ) नरेन्द्र सिंह
ब) धर्मन्द्र सिंह
स) अरविन्द सिंह
सभी पुत्रगण चतुर सिंह
3. रघुराज सिंह पुत्र चंदन सिंह
सभी जाति ठाकुर निवासी ग्राम साहस का पुरा
मौजा नगरा तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.
.....आवेदकगण

बनाम

1. महिला केशवती पुत्री बाबू सिंह पत्नी अतिराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम नगरा हाल निवासी ग्राम उमरेठा तहसील बाह जिला आगरा
.....असल अनावेदक
2. महिला मेवावती पुत्री बाबू सिंह पत्नी रघुनाथ सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम लखनपुरा जिला आगरा
3. महिला रामादेवी पुत्री बाबू सिंह पत्नी केशव सिंह निवासी ग्राम बरैथा तहसील व जिला मुरैना
4. महिला उमादेवी पुत्री बाबू सिंह पत्नी सरमन सिंह निवासी ग्राम अकलौनी तहसील व जिला भिण्ड म.प्र.

.....तरतीवी अनावेदक

**निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 28/6/2013 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
अम्बाह कैम्प पोरसा जिला मुरैना की न्यायालय के प्र.क्र. 60/06-07 अ.मा.
मौजा नगरा पोरसा अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता**

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1. यह कि असल अनावेदक की ओर से एक अपील अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. अम्बाह के समक्ष आवेदकगण के विरुद्ध इस अभिकथन में प्रस्तुत की, कि ग्राम नगरा की भूमि पुराना सर्व क्र. 1162, 1285, 1290, 1302, 1312, 1313, 1365 जो नवीन सर्व क्र. 673, 1307, 1459, 1514, 1515, 1521, 1558, 1562, 1563 कुल किता 9 कुल रकवा 3.83 हैक्टेयर के भूमि स्वामी बाबू सिंह, कमल सिंह पुत्रगण राजहंस सिंह एमान भाग के भूमि स्वामी शासकीय अभिलेख में अंकित थे। जिनमें से बाबू सिंह की मृत्यु हो चुकी है और वैध वारिसान विधवा महिला भागवती एवं पुत्रियां केशवती, मेवावती, रामदेवी, उमादेवी वैध वारिस हैं। वर्तमान में महिला भागवती की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है। मृतक की चारों पुत्रियां वैध वारिस हैं। आवेदकगण द्वारा अवैधानिक तरीके से बिना किसी स्वत्व व आधिपत्य पर उपरोक्त भूमियों पर अपना नामांतरण करा लिया है। क्योंकि बाबू सिंह की हिन्दू

[Signature]